न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 26 / 2021 तारीख रजू :–27.05.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. मनीष बंसल पुत्र श्री प्रहलाद कुमार बंसल निवासी न्यू मार्केट के पीछे, छीपा मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर प्रो0 मेसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज हरसहाय जी का कटला शहर सवाई माधोपुर।
2. महेश कुमार अदलक्खा पुत्र श्री राधेश्याम अदलक्खा निवासी शहर सवाई माधोपुर प्रो0 मैसर्स महेश टी सेंटर पुरानी अनाज मंडी रोड सवाई माधोपुर सिटी सवाई माधोपुर।
3. संतोष नरवाल निवासी मकान नं. 1615 सेक्टर 6 बहादुरगढ झज्झर हरियाणा 124507 डायरेक्टर मैसर्स पारले बिस्किट प्राईवेट लिमिटेड एनएच 8 एसपी 2–4 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया देहली जयपुर हाईवे नीमराना अलवर राजस्थान 301705
4. आर एस नेवेतिया निवासी 01 Jogesh Chs Ltd. 14 Natwar Nagar Road Jogeswari Mumbai Maharastra 400606 डायरेक्टर मैसर्स पारले बिस्किट प्राईवेट लिमिटेड एनएच 8 एसपी 2–4 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया देहली जयपुर हाईवे नीमराना अलवर राजस्थान 301705
5. के हरिहरन अय्यर निवासी 11 गिरी विहार राममूर्ती क्रोसलेन नं0 03 नवपाडस थाणे 400602 डायरेक्टर मैसर्स पारले बिस्किट प्राईवेट लिमिटेड एनएच 8 एसपी 2–4 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया देहली जयपुर हाईवे नीमराना अलवर राजस्थान 301705
6. मैसर्स पारले बिस्किट प्राईवेट लिमिटेड एनएच 8 एसपी 2–4 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया देहली जयपुर हाईवे नीमराना अलवर राजस्थान 301705

..........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 20/10/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपु[illegible]धिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा [illegible] और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत [illegible] कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 06.10.2017 को समय 02.00 पी[illegible]जेज हरसह[illegible] का कटला शहर सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहा पर मनीष बंसल पु[illegible] प्रहलाद कुमार बंस[illegible]सी न्यू मार्केट के पीछे छीपा मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर मिला जिसको आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की गई। तत्पश्चात् विक्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। जहा विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) 245-05 ग्राम की दस पॉलिपैक थैलियां दुकान में रखी मिली के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5a की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) 245-05 ग्राम की चार पॉलिपैक थैलियां वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 180/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) का खरीद बिल मैसर्स महेश टी सेंटर पुरानी अनाज मंडी रोड सवाई माधोपुर सिटी सवाई माधोपुर का पेश किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) 245-05 ग्राम की चार पॉलिपैक थैलियां मूल ही लेकर चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1284 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता मनीष बंसल पुत्र श्री प्रहलाद बंसल एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में सलीम वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3615 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 769/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/894 दिनांक 10.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) **मिसब्राण्ड** (**Mis-Branded**) पाया गया।

यह कि उक्त प्रकरण में [illegible] **मिसब्राण्ड** (Under sec. 3(1)(zf)(C)(i) of fss.Act 2006) खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा [illegible] उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) 245-05 ग्राम मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) 245-05 ग्राम का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zz)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(2)(c) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zz)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(2)(c) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानकं (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(2)(c) का सारभूत अनुपालन किया गया है। हमारे उत्पाद में किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 769/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/894 दिनांक 10.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) 245-05 ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया। जहॉ तक वकील अभियुक्तगण द्वारा बहस में यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zz)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(2)(c) में कोई भी अपराध नहीं बनता है जबकि विनियम 2.2.2(2)(c) के अनुसार " एकल संघटक खाद्य पदार्थों के सिवाय, संघटकों की सूची में दिए गए संघटको की सूची निम्नलिखित रीति में लेबल पर घोषित की जाएगीः– संघटकों की सूची में दिए गए संघटकों के लिए एक विनिर्दिष्ट नाम प्रयोग किया जाएगा।" इससे स्पष्ट है कि संघटक में शामिल EDIBLE VEGETABLE OIL (SPECIFIC NAME OF EDIBLE OIL) का नाम का अंकन नहीं कर अधिनियम का उल्लंघन [illegible] है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:44 IST
Reason: SelfAttested

Sawai Madhopur

सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Parle Kismi) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 6 पर संयुक्त रूप से कुल 30,000/– रूपये (अक्षरे कुल तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 6 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/10/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:44 IST
Reason: SelfAttested